

कार्यालय नगर परिषद बाड़मेर (राज.)

क्रमांक एफ-20/अग्निशमन/2020/2836

दिनांक : 13/03/2020


अग्निशमन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय ,जयसिंधर बाड़मेर के भवन/परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरणों का निरीक्षण किया गया जो सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये भविष्य हेतु भी यंत्र/उपकरण एवं निदेशित किये गये फायर स्ट्रींग्स सही व कार्यशील अवस्था में रखे जाने के लिये मौके पर उपस्थित केन्द्रीय विद्यालय ,जयसिंधर बाड़मेर प्राचार्य उदाराम भेघवाल को निदेशित किया गया।


उक्त निरीक्षण अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. भवन/परिसर तक फायर टेण्डर(अग्निशमन वाहन) धुमने व खड़ा होने के लिये हमेशा पर्याप्त स्थान/रोड़ होने चाहिए।
2. भवन/परिसर में अग्निशमन वाहन में पानी के टेन्क में पानी भरने की व्यवस्था होनी चाहिये।
3. भवन/परिसर में निकास द्वार पर किसी प्रकार अवरोधक नहीं होना चाहिये। निकास द्वार पर निकास द्वार का साईन बोर्ड लगा होना चाहिये।
4. भवन/परिसर में सिस्टम को चलाने हेतु फायर से प्रशिक्षित कार्मिक होना चाहिये।
5. वर्ष में दो बार स्कूल के समस्त बच्चों को अग्निशमन सुरक्षा व बचाव हेतु डेमो ट्रेजेशन हेतु नगर परिषद के अग्निशमन कार्यालय में लाना अनिवार्य होगा जिसका नियमानुसार शुल्क जमा कराया जायेगा।
6. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी। अवधि पूर्ण के बाद पुनः नियमानुसार नवीनीकरण कराना होगा। अवधि पूर्ण होने के एक माह बाद किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

उक्त वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


प्रभारी अग्निशमन शाखा
नगर परिषद बाड़मेर




आयुक्त 13.03.2020
नगर परिषद बाड़मेर